




**न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)**

आदेश पत्रक

दीपाली देवी

वनाम राम मल्ली वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अभिलेख सं०-एम 38 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी त.स.।.३ के अप्राथमिकी सं०-11/18 दिनांक-11-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाना नं० 153 प्लॉट नं० 1468 रकबा 19370 बरबोडी जमीन के चलते विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति दुब्ल होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति दुब्ल हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               26/5/18              कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;">अभिलेख उपस्थापित   उभय पक्ष उपस्थापित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थापित क्रमांक 02 अनुपस्थापित   दिनांक 28-05-18 को रखे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               11/5/18         </div>	

-05-18

अभिनेता

आदेश  
कारवाई  
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई एवं दिवसीय  
तारीख संज्ञित

07-19

अभिलेख उपस्थापित 7 प्रथम पत्र  
अनुपलब्ध दिनांक पत्र अधिवक्ता  
द्वारा उक्त वाद में 6 (छः) माह  
की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्  
वाद कालवाप्त हो गया है।  
अतः वाद में अभिलेख की कारवाई  
बन्द की जाती है।

  
08/07/19